प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील संख्या 265/1991</u>

(एकल पीठ: माननीय श्री टी.पी.शर्मा, न्यायाधीश)

दिलीप और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

<u>16/7/2010 को निर्णय सुनाने के लिए सूची बद्ध करें।</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 265/1991

अपीलकर्तागण 1. दिलीप, पिता सोम नाथ गांडा, उम्र लगभग 26 वर्ष, ड्राइवर,

निवासी ग्राम सेलेगांव, थाना व तहसील चारामा, जिला बस्तर (म.प्र.)

(वर्तमान छ.ग.)

(एस.टी.क्रमांक 200/89)

2. शंभूराम, पिता रायसिंह गोंड, उम्र लगभग 22 वर्ष, कृषक, निवासी ग्राम

चिचगांव, थाना भानुप्रतापपुर, जिला बस्तर (म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

(एस.टी. क्रमांक 202/89)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

(दं.प्र.स की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

एकल पीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

उपस्थित:- श्री संदीप श्रीवास्तव, एवं श्री अमित वर्मा अपीलकर्ताओं के अधिवक्तागण ।
श्री राकेश कुमार झा, राज्य की ओर से उप-शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(16 जुलाई, 2010 को सुनाया गया)

1. इस अपील में सत्र विचारण संख्या 200/89 और 202/89 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कांकेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.1.1991 के दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती दिया गया है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उन्हें क्रमशः तीन वर्ष के कठोर कारावास, चार वर्ष के कठोर कारावास और पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्त रूप से दोषी ठहराया और सजा सुनाई है उसे प्रकार अवैधता कारित किया।

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 12.5.1989 की रात के समय लगभग 14 वर्ष की अभियोक्त्री (अ.सा.-1) (नाम उल्लेखित नहीं) अपने गांव चिचगांव, थाना भानुप्रतापपुर में खेल रही थी, जहां अपीलकर्ता शंभू उस से मिला और उसे उसके साथ चलने को कहा, जिसे उसने मना कर दिया, फिर भी अपीलकर्ता शंभू ने उसे खींचा और वह उसे अपने घर ले गया जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया और उससे कहा कि वह उससे शादी करेगा। सुबह लगभग 4 बजे वे उठे, फिर वे अन्य मजदूरों के साथ ट्रक में सवार हुए, जिसे सह-अभियुक्त दिलीप चला रहा था, वे संभलपुर गए और फिर वे धमतरी के लिए रवाना हुए जहां उन्होंने बैग उतार दिए। सह-अभियुक्त दिलीप अभियोक्त्री को बस स्टैंड की ओर ले गया और

उसके साथ बलात्कार किया अपीलार्थी शंभू उसे कई स्थानों पर ले गया और अंततः उसे बरामद किया गया। अभियोक्त्री के पिता कन्हैया (आ.सा-2) ने प्रदर्श.पी/6 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। अभियोक्त्री को चिकित्सक जांच के लिए भेजा गया, उसकी जांच डॉ. श्रीमती आर. यदु (अ.सा-6) ने प्रदर्श.पी/7 के जरिए की और पाया गया कि अभियोक्त्री संभोग करने की आदी थी। जांच के दौरान अभियोक्त्री एक्स.पी/1 की मार्कशीट प्रदर्श.पी/3 के पत्र और प्रदर्श.पी/2 के तहत अंडरवियर के साथ जब्त की गई। प्रदर्श.पी/4 के जरिए घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श.पी/8 के जरिए संतोष से ट्रक जब्त किया गया। अभियुक्त शंभू की जांच डॉ. एस. यदु (अ.सा.-7) ने प्रदर्श.पी/10 के जरिए की और पाया कि वह संभोग करने में सक्षम था। अभियुक्त शंभू के अंतः वस्त्र प्रदर्श.पी/12 के जरिए जब्त अभियुक्त दिलीप की भी डॉक्टर द्वारा प्रदर्श.पी/21 के तहत जांच की गई और उसे यौन संबंध बनाने में सक्षम पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और जांच पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भानुप्रतापपुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को तत्काल रुप से सत्र न्यायाधीश, बस्तर, को अर्पित किया जहां से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कांकेर को सुनवाई के लिए मामला अंतरण पर प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का परीक्षण किया। अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं से धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जहाँ उन्होंने

अपने विरुद्ध प्रस्तुत परिस्थितियों से इनकार किया और संबंधित अपराध में खुद को निर्दोष और झूठे आरोप में फँसाए जाने का तर्क दिया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को उपर्युक्तानुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अभियोक्त्री और अन्य गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्ष थी। न्यायालय ने अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष आंकी है। 16 वर्ष की सीमांत आयु के मामले में, अभियोजन पक्ष का दायित्व है कि वह ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित करे, लेकिन वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित नहीं कर पाया है। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार, अभियोक्त्री संभोग की आदी थी, वह यह समझने में सक्षम थी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, वह स्वयं अपने माता-पिता के आश्रय को छोड़कर अपीलकर्ताओं के साथ गई है, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कानून के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने सुधारी उर्फ **शिवधारी सिंह बनाम .छ.ग. राज्य**[1] के मामले पर भरोसा किया जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि अभियोक्त्री के पिता अभियोक्त्री की जन्मतिथि नहीं बता सके, अभियोक्त्री की आयु की पुष्टि के लिए रेडियोलॉजिकल परीक्षण नहीं किया गया, कोटवारी रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, अभियोक्त्री ने दिनांक 25.7.2001 को दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि उसकी आयु 17 वर्ष थी, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना के दिन अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक थी। विद्वान अधिवक्ता ने **सुनील बनाम हरियाणा राज्य**[2] मामले का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि ठोस साक्ष्य और अभियोक्त्री की आयु केवल अनुमानित होने के पिता के बयान के अभाव में, ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्धि देना उचित नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने कथित अपराध की तिथि पर अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम साबित कर दी है। इसके विपरीत, अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित किया है कि उसने कभी भी लैंगिक संभोग के लिए सहमति नहीं दी थी और दोनों अपीलकर्ताओं ने उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दोनों अपीलकर्ताओं ने अवैध लैंगिक संभोग के लिए अभियोक्त्री का अपहरण, तथा वय्यहरण किया था।

11. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की है।

---

[1] 2006(2)C.G.L.J.328

[2] AIR 2010 SC 392

12. वर्तमान मामले में अभियोक्त्री की आयु और सहमति महत्वपूर्ण है। न्यायालय में अभियोक्त्री से (अ.सा.-1) के रूप में पूछताछ करते समय न्यायालय ने उसकी आयु 14 वर्ष आंकी है। उसने स्वयं अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि प्रशिक्षण किए जाने के दिनांक को उसकी आयु 14 वर्ष थी। अभियोक्त्री के पिता कन्हैया (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया है कि अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया है कि अपनी पुत्री के प्रवेश के समय उन्होंने कोटवार से जन्मतिथि पूछने के बाद स्कूल प्राधिकारियों को जन्मतिथि के बारे में सूचित किया था, जिसने अभियोक्त्री की जन्मतिथि दर्ज की है। अपनी जिरह के कंडिका 4 में उन्होंने विशेष रूप से यह प्रमाणित किया है कि अपनी पुत्री के जन्म के समय उन्होंने कोटवार को सूचित किया था और कोटवार ने उसकी जन्मतिथि दर्ज की है, लेकिन उन्होंने कोटवार द्वारा अभियोक्त्री की जन्मतिथि दर्ज करने से संबंधित कोई दस्तावेज दाखिल किया है डॉ. श्रीमती आर.यदु अ.सा.-6 ने अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष मानी है। उसने गवाही दी है कि उसने अभियोक्त्री की जाँच प्रदर्श.पी/7 के अनुसार की है। उसकी मेडिकल जाँच रिपोर्ट प्रदर्श.पी/7 से पता चलता है कि अभियोक्त्री का मासिक धर्म एक वर्ष पहले शुरू हो गया था। जघन बाल बहुत कम थे। इससे पता चलता है कि अभियोक्त्री शारीरिक रूप से परिपक्व महिला नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में यह कथन किया है कि उसकी अंकसूची प्रदर्श.पी/1, प्रदर्श.पी/2 के माध्यम से जब्त कर ली गई है। अंकसूची में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 25.1.75 अंकित है और यदि उसकी जन्मतिथि 25.1.1975 मानी जाए, तो अपराध के समय उसकी आयु चौदह वर्ष और चार माह होगी। बचाव पक्ष ने अभियोक्त्री से विस्तार से

जिरह की है। अपनी जिरह के कंडिका 13 में उसने स्वीकार किया है कि उसने अपनी आयु लगभग बताई है।

14. अभियोक्त्री के पिता कन्हैया (अ.सा.-2) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 1 और 4 में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पुत्री की आयु 14 वर्ष है और उन्होंने कोटवार से जन्मतिथि पूछकर अपनी पुत्री के प्रवेश के समय स्कूल प्राधिकारियों को सूचित किया था। डॉ. श्रीमती आर. यदु (अ.सा.-6) जिन्होंने अभियोक्त्री का परीक्षण किया है, ने भी उसकी आयु 13 वर्ष आंकी है।

15. वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने प्राथमिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन अभियोक्त्री के पिता, जो अपनी पुत्री की आयु साबित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ने विशेष रूप से यह बयान दिया है कि उन्होंने अपनी पुत्री के स्कूल में प्रवेश के समय कोटवारी प्रविष्टि के आधार पर कोटवार से पूछकर स्कूल प्राधिकारियों को अपनी पुत्री की जन्मतिथि के बारे में सूचित किया था। यद्यपि जन्म रजिस्टर व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए निर्णायक प्रमाण है, लेकिन यदि वह संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अन्य प्रासंगिक कारकों जैसे पिता, माता और अन्य व्यक्तियों द्वारा निर्धारित शारीरिक बनावट, डॉक्टर द्वारा निर्धारित आयु, स्कूल रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि और अभियोक्त्री की परीक्षा के दौरान न्यायालय द्वारा निर्धारित आयु के आधार पर आयु का पता लगाया जा सकता है। आयु के निर्धारण के प्रश्न पर विचार करते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम मैंगो राम**[3] के मामले में यह निर्णय दिया है कि अभियोक्त्री की आयु शारीरिक विशेषताओं सहित सभी सुसंगत कारकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उक्त निर्णय का कंडिका 12 इस प्रकार है:-

"12. अभियोक्त्री की आयु के संबंध में, अभियोजन साक्षी क्रमांक 2 डॉ. वीना सहगल का साक्ष्य है, जिन्होंने अभियोक्त्री की जांच की और शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कहा

[3](2000) 7 SCC 224

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि अभियोक्त्री की आयु 13 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 डॉ. लोकेंद्र बडोत्रा, जिन्होंने अभियोक्त्री *की जांच की, ने भी इस कथन का समर्थन किया। यह दृष्टिकोण पारिवारिक इतिहास से और अधिक पुष्ट होता है, जिसमें दिखाया गया है कि उसका जन्म वर्ष 1979 में हुआ था। इसलिए, सभी संभावनाओं में, घटना के समय* अभियोक्त्री *की आयु लगभग चौदह वर्ष थी। चिकित्सा अधिकारी-सह-रेडियोलॉजिस्ट,* अभियोजन साक्षी क्रमांक *13 का प्रमाण पत्र भी* अभियोक्त्री की *केवल संभावित आयु देता है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि* अभियोक्त्री *की आयु सोलह वर्ष से अधिक थी, दोषपूर्ण कारणों पर आधारित है और साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।"*

16. अभियोक्त्री की जाँच के समय, न्यायालय ने उसकी आयु 14 वर्ष आंकी है। डॉक्टर ने भी उसकी आयु 13 वर्ष आंकी है। उसके शरीर से पता चलता है कि उसके गुप्तांगों पर बाल बहुत कम थे और उसका मासिक धर्म एक वर्ष पहले ही शुरू हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यदि इन परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जाए, विशेष रूप से अभियोक्त्री के पिता कन्हैया (अ.सा.-2) के विशिष्ट साक्ष्य, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी/1 अंकसूची द्वारा समर्थित है, तो यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने विशेष रूप से बयान दिया है कि जब वह बच्चों के साथ खेलकर अपने घर वापस आ रही थी, अपीलकर्ता शंभू उससे मिला और अपने साथ चलने को कहा जिसे उसने मना कर दिया, फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने घर ले गया, वह उसे कमरे के अंदर ले गया, तब वह रोने लगी, उसके बाद अपीलकर्ता शंभू ने उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया, उस समय वह रो रही थी। अपने साक्ष्य के कंडिका 7 में उसने

विशेष रूप से बयान दिया है कि अपीलकर्ता शंभू ने उसके साथ लैंगिक संभोग किया उसके घर से उसे भानुप्रतापपुर की ओर ट्रक से ले गए, जिसे अपीलकर्ता दिलीप चला रहा था, अंततः वे धमतरी पहुंचे और धमतरी में ट्रक से सामान उतारने के समय अपीलकर्ता दिलीप उसे खेत की ओर ले गया जहां उसने उसके साथ लैंगिक संभोग किया। बचाव पक्ष ने इस गवाह से विस्तार से जिरह की। उसने जिरह में स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता उसे अलग-अलग जगहों पर ले गए लेकिन उसने घटना के बारे में नहीं बताया और न ही शोर मचाया क्योंकि अपीलकर्ता शंभू ने उसे किसी को कुछ नहीं बताने का कहा था। वह उपरोक्त अपराध, एफआईआर दर्ज करने, अपनी मेडिकल जांच और कपड़ों की जब्ती से संबंधित एकमात्र गवाह है जिसकी पुष्टि अन्य सबूतों से होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सामान्यतः यौन अपराध के मामले में, न्यायालय को अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विचार करना आवश्यक होता है। यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं माना जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। पुष्टिकरण के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवईचंद जैन**[4] के मामले में यह माना है कि अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं माना जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। उक्त निर्णय का कंडिका 16 इस प्रकार है:-

"16. यौन अपराध की अभियोक्त्री को सह-अपराधी के समकक्ष नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की पीड़िता है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि उसके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए। वह निस्संदेह धारा 118 के अंतर्गत एक सक्षम गवाह है और उसके साक्ष्य को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना शारीरिक हिंसा के मामलों में किसी घायल व्यक्ति को दिया जाता

[4](1990) 1 SCC 550

है। उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरती जानी चाहिए जितनी किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में बरती जाती है, उससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति सजग और सचेत रहे कि वह उस व्यक्ति के साक्ष्य पर विचार कर रही है जो उसके द्वारा लगाए गए आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखता है और संतुष्ट है कि वह अभियोक्त्री *के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है, तो साक्ष्य अधिनियम में धारा 114 के दृष्टांत (ख) के समान कोई विधि या प्रथा शामिल नहीं है जिसके लिए उसे पुष्टिकरण की आवश्यकता होती है। यदि किसी कारणवश न्यायालय किसी पर अंतर्निहित निर्भरता रखने में हिचकिचाता है, अभियोजन पक्ष की गवाही ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो उसके साक्ष्य को पुष्ट कर सके, सिवाय किसी सह-अपराधी के मामले में अपेक्षित पुष्टिकरण के। अभियोक्त्री की गवाही को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति अनिवार्य रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन अगर अभियोक्त्री वयस्क है और पूरी समझ रखती है, तो अदालत उसके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि का आधार बना सकती है, जब तक कि उसे कमजोर और अविश्वसनीय न दिखाया जाए। यदि मामले संबंधित अभिलेख में दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोक्त्री के पास आरोपित व्यक्ति को झूठा फंसाने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को सामान्यतः उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए....."*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. जैसा कि इस न्यायालय ने **सुधारी (<u>पूर्वोक्त</u>)** मामले में माना है, अन्य किसी परिस्थिति और अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी आयु 17 वर्ष बताए जाने के अभाव में, इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन पक्ष की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक थी, लेकिन वर्तमान मामले

में, अभियोजन पक्ष और उसके पिता ने विशेष रूप से यह साक्ष्य दिया है कि अभियोजन पक्ष की आयु 14 वर्ष थी। सुधरी मामले से संबंधित तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

20. जैसा कि **सुनील (पूर्वर्ती)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, *अभियोक्त्री* की आयु निर्धारित करने के लिए किसी अन्य कारक और पिता के साक्ष्य के अभाव में, दोषसिद्धि उचित नहीं होगी। लेकिन, वर्तमान मामले में, अभियोक्त्री, उसके पिता के बयान, डॉक्टर द्वारा निर्धारित आयु, प्रदर्श .पी/7 में उल्लिखित अभियोक्त्री का शारीरिक गठन और भौतिक साक्ष्य, *अभियोक्त्री* की आयु के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं। सुनील मामले से संबंधित तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अभियोक्त्री (आ.सा-1) के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 14 वर्षीय बालिका जो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थी एंव अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी और जब वह अपने घर की ओर जा रही थी, तभी अपीलकर्ता शंभू ने उसे बहकाया, उसके बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने घर ले गया जहाँ उसने उसके साथ जबरदस्ती लैंगिक संभोग किया। अभियोक्त्री के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संभोग के समय और संभोग से पहले, वह रो रही थी। निश्चित रूप से अभियोक्त्री अपीलकर्ताओं के साथ धमतरी तक आई थी। सह-अभियुक्त दिलीप जो धमतरी में वाहन चला रहा था, उसने ट्रक को फिर से लोड करने के स्थान से अभियोक्त्री को यह कहकर ले गया कि वे कुछ दूर पैदल चलेंगे । खेत में अकेलेपन का फायदा उठाकर उसने उसके साथ लैंगिक संभोग किया। अभियोक्त्री फिर से ट्रक के पास आई और वह रो रही थी, यहां तक कि उसने अपीलकर्ता शंभू को घटना के बारे में बताया। इससे पता चलता है कि अभियोक्त्री

अपीलकर्ताओं के चंगुल में थी और उन्होंने उसके बलात्कार का आनंद लिया है। अभियोक्त्री (अ.सा. -1) के साक्ष्य से किसी सहमति या इच्छा के बारे में पता नहीं चलता, वह अपीलकर्ताओं के चंगुल में असहाय थी, अपीलकर्ताओं ने उसे अवैध संभोग के लिए अगवा किया और उसकी इच्छा और सहमति के बिना उसके साथ लैंगिक संभोग किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त हैं ।

22. जहाँ तक सजा का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को तीन वर्ष के कठोर कारावास, चार वर्ष के कठोर कारावास और पाँच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोक्त्री की आयु और अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध करने के तरीके को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने पर्याप्त सजा नहीं दी है और सजा सुनाते समय विचारण न्यायालय ने उदारता बरती और न्यूनतम सजा का ध्यान नहीं रखा, जो आवश्यक है। राज्य ने सजा बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त कारणों से, मुझे अपील में कोई सार नहीं दिखता। चूँकि अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें सत्र विचारण संख्या 200/89 एवं 202/89 में दी गई सजा की शेष अवधि भुगतने के लिए अपर सत्र न्यायाधीश, कांकेर या उनके उत्तराधिकारी के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा।

सही/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Abhishek Kumar Rai.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur